

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.17	वाहनों पंजीयन का नवीनीकरण.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 24.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.5	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	15 कार्य दिवस.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी (संबंधित परिक्षेत्र).	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
24.6	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना.—प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	15 कार्य दिवस.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी (संबंधित परिक्षेत्र).	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
	पूर्ण आवेदन को सक्षम समिति से निर्णीत कराना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	30 कार्य दिवस.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी (संबंधित परिक्षेत्र).	30 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2017—माघ 4, शक 1938

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 24.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का नाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

24.1 एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत टर्मलोन पर ब्याज अनुदान सहायता की स्वीकृति अ. आवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(संबंधित वित्तीय संस्था का निर्धारित प्रपत्र में क्लेम फार्म) की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुती.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	30 कार्य दिवस.	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
24.2	ब. जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत पूंजी अनुदान सहायता की स्वीकृति.	जिला कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग.
	अ. आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुती.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	30 कार्य दिवस.	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
24.3	ब. जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत वेट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की स्वीकृति.	जिला कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग.
	अ. आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुती.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	30 कार्य दिवस.	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
	ब. जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना.	जिला कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.4	एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अन्तर्गत प्रवेश कर छूट की स्वीकृति.					
	अ. आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुती.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	30 कार्य दिवस.	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
	ब. जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना.	जिला कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग.